

स्पीड पोस्ट द्वारा

फा.सं. 28/14/2011-एस.आर.(एस.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 10 जनवरी, 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना-800001।

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार, रांची-834001।

विषय: श्री कौलेश्वर चौधरी, सहायक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग के अभ्यावेदन पर निर्णय।


महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निर्देशानुसार मुझे यह कहना है कि राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार ने श्री कौलेश्वर चौधरी, सहायक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग के अभ्यावेदन पर राज्य पुर्णवैद्य के सम्बंध दिनांक 09.07.2012 की बैठक में विचार किया। समिति का निर्णय नीचे दर्शाया गया है:-

“समिति ने पाया कि श्री कौलेश्वर चौधरी, का राज्य आवंटन उनके द्वारा दिये गए विकल्प के राज्य झारखण्ड में किया गया है। ऐसी स्थिति में समिति द्वारा इनका अभ्यावेदन अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी।”

2. समिति की अनुशंसाओं को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, अतः श्री कौलेश्वर चौधरी, सहायक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग का अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए उनका राज्य आवंटन यथावत झारखण्ड राज्य रखा जाता है।

भवदीय,



(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-24624235

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. सदस्य सचिव, राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार, सिंचाई आवास, बेली रोड, पटना, बिहार-800023।
2. उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार-800023।
3. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, सचिवालय, पटना, बिहार-800023।
4. श्री कौलेश्वर चौधरी, सहायक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, रा.ग्रा.नि. कार्यक्रम विकास शाखा, डी.आर.डी.ए. भवन, हजारीबाग, झारखण्ड।

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-24624235

0/0

20/11